हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड Hindustan Copper Limited
(CIN: L27201WB1967GOI028825)
नि.कार्या. Regd. Office: ' ताम्र भवन Tamra Bhavan', 1, आशुतोष चौधरी एवेन्यु Ashutosh Chowdhury Avenue, कोलकाता Kolkata - 700 019
Phone: (033) 2283-2226, Fax:(033) 2283-2478, E-mail: investors_cs@hindustancopper.com
Website: www.hindustancopper.com

सदस्यों का लिए सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ("एचसीएल / कंपनी") के सदस्यों की 55 वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को सुबह 10:30 बजे, भारतीय मानक समय ("IST") वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों ("VC/OAVM") के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय

1) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों, लेखा परीक्षकों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (एकल और समेकित) प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाने,

2) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करने,

3) श्री संजय पंजियार (DIN 02846267) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होते हैं और प्रात्र होते हुए स्वयं को पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव देते हैं,

4) श्री अरुण कुमार शुक्ला (DIN 03324672) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होते हुए स्वयं को पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव देते हैं,

5) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष व्यवसाय

6) सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधनों) या उसके पुन: अधिनियमन सहित) के अनुसार, रुपये 90,000/- (नब्बे हजार रुपये मात्र) प्लस टैक्स जैसा लागू हो, का पारिश्रमिक और वास्तविक यात्रा की प्रतिपूर्ति और आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च जैसा कि ऑडिट कमेटी द्वारा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, मेसर्स, बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, लागत लेखाकार, कोलकाता को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भुगतान किया जाना है जिसे कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है और इसकी पुष्टि और पुष्टि की जाती है।"

7) विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम- 2013 ("कंपनी अधिनियम") की धारा 23, 42, 62 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम- 2014, कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम- 2014 और उसके तहत बनाए गए अन्य लागू नियम (किसी भी संशोधन (संशोधन) या संशोधन (नों) या उसके पुन: पुनर्प्रख्यापन सहित), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के प्रासंगिक प्रावधान (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018, यथा संशोधित ("सेबी **ICDR** विनियम"), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम"), कंपनी की अंतर्नियमावली, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (**"FEMA"**) के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति और लागू नियम, विनियम, दिशानिर्देश या कानून और / या प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, कंपनी रजिस्ट्रार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के किसी अनुमोदन, सहमति, अनुमति या मंजूरी के अधीन बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य उपयुक्त प्राधिकरण, संस्थान या निकाय, जिसमें कंपनी के ऋणदाता

शामिल हैं, जैसा कि इस संबंध में आवश्यक हो और आगे ऐसे नियमों और शर्तों या संशोधनों के अधीन हो, इनमें से किसी के द्वारा निर्धारित या लगाया जा सकता है, किसी भी ऐसे अनुमोदन, अनुमति, सहमति और / या प्रतिबंधों को प्रदान करते समय जिसे कंपनी के निदेशक मंडल (बाद में "बोर्ड" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा सहमति दी जा सकती है, जिसमें कोई भी समिति शामिल होगी जिसका बोर्ड ने विधिवत गठन किया हो या इसके बाद इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए गठित कर सकता है, कंपनी के सदस्यों की सहमति और अनुमोदन एतद्द्वारा बोर्ड को दी जाती है ताकि वे निर्गम जारी करने, पेशकश करने, जारी करने और आवंटित (इसमें फर्म और / या प्रतिस्पर्धी आधार पर आरक्षण के प्रावधान शामिल हैं, ऐसे हिस्से के लिए और व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के लिए, जैसा कि अनुमति दी जा सकती है) ग्रीन शू विकल्प के साथ या उसके बिना, कंपनी के 9,69,76,680 इक्विटी शेयरों तक, जिसका भारत में अंकित मूल्य 5 रुपये (पांच रुपये) प्रत्येक ("इक्विटी शेयर") या अंतरराष्ट्रीय पेशकश (शों) के दौरान एक या अधिक विदेशी बाजारों में, सेबी **ICDR** विनियमों के तहत परिभाषित योग्य संस्थागत खरीदारों **("QlBs")** और / या किसी अन्य पात्र निवेशकों और / या ऐसे अन्य निवेशकों, निकाय, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड या अन्यथा, जो सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और अनुमोदनों के अनुसार प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, चाहे वे कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक हों या नहीं, जिनमें भारतीय या विदेशी निवेशक, संस्थान, कॉर्पोरेट शामिल हैं, को निकाय, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड या अन्यथा, जो सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और अनुमोदनों के अनुसार प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, चाहे वे कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक हों या नहीं, इस निर्गम के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाने वाले लागू नियमों के अनुसार, अपने पूर्ण विवेक पर, प्रमुख प्रबंधन, सलाहकारों या अन्य के परामर्श से बिचौलियों को कंपनी के शेयरधारकों से किसी और अनुमोदन या सहमति की आवश्यकता के बिना और लागू नियमों / दिशानिर्देशों के अधीन, मुद्दे के अनुसार नियुक्त किये गये प्रमुख प्रबंधक, सलाहकारों या अन्य बिचौलियों के परामर्श से कुल राशि 900 करोड़ या **USD** 122 मिलियन रुपये से अधिक नहीं, जो भी अधिक हो, एक या अधिक किश्तों में, एक योग्य संस्थान प्लेसमेंट (**"QIP"**) के माध्यम से **SEBI** / / **ICDR** विनियमों के अध्याय **Vl** के अर्थ के भीतर, ऐसी कीमत या कीमतों पर, बाजार में मूल्य (यों) या बाजार मूल्य (यों) के लिए स्वीकार्य छूट या प्रीमियम पर कर सके।"

"पुन: संकल्प लिया गया कि QIP के माध्यम से इक्विटी शेयरों के किसी भी निर्गम के मामले में, सेबी ICDR विनियमों के विनियमन 171 के अनुसार, जारी किये जानेवाले इक्विटी शेयरों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण के लिए 'प्रासंगिक तिथि' उस निर्गम बैठक की तारीख होगी जिसमें बोर्ड प्रस्तावित QIP खोलने का निर्णय लेता है।"

"आगे यह संकल्प लिया गया कि QIP के माध्यम से किए गए इक्विटी शेयरों के किसी भी मुद्दे के मामले में, सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 179 के अनुसार, इक्विटी शेयरों का न्यूनतम 10% म्यूचुअल फंड को आवंटित किया जाएगा और यदि म्यूचुअल फंड उपर्युक्त न्यूनतम प्रतिशत या उसके हिस्से का अंशदान नहीं करता है तो ऐसा न्यूनतम भाग अन्य क्यूआईबी को आवंटित किया जा सकता है और इसके अलावा किसी भी क्यूआईबी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आवंटन नहीं किया जाएगा जो प्रमोटर या कंपनी के प्रमोटरों से संबंधित कोई व्यक्ति है।

"पुन: यह संकल्प लिया गया कि क्यूआईपी के माध्यम से किए गए इक्विटी शेयरों के किसी भी मुद्दे के मामले में, सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 176 के अनुसार, बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से, इक्विटी शेयरों को पांच प्रतिशत तक की छूट या सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार निर्धारित और लागू कानून के तहत स्वीकार्य न्यूनतम मूल्य पर ऐसी अन्य छूट पर जारी कर सकता है।"

"पुन: यह संकल्प लिया गया कि इक्विटी शेयरों का निर्गमन निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगा:

i. इक्विटी शेयर जो जारी और आवंटित किए जा सकते हैं, लाभांश सहित सभी मामलों में कंपनी के तत्कालीन मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ समान होंगे;
ii. जारी और आवंटित किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या को पूँजी या कॉर्पोरेट पुनर्गठन या विभाजन की बिक्री, व्यवसाय का हस्तांतरण, अ-विलय, विलय, शेयर पूँजी का समेकन और स्टॉक विभाजन, राइट निर्गम, बोनस मामले जैसे कार्यों को समुचित रुप से किया जायेगा;
iii. क्यूआईपी निर्गम कंपनी के सदस्यों/शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करने की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर या समय-समय पर सेबी आईसीडीआर विनियमों के तहत अनुमत अन्य समय अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा; तथा
iv. प्रस्तावित और आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर अभौतिक रूप में होंगे।"

"पुन: यह संकल्प लिया गया कि ऊपर वर्णित किसी भी प्रस्ताव, निर्गम या इक्विटी शेयरों के आवंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड, जहां प्रमुख प्रबंधकों और/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से आवश्यक हो, को कंपनी की ओर से ऐसे सभी कार्यों, डीडों, मामलों और चीजों को करने के लिए, जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में, ऐसे उद्देश्य के लिए आवश्यक या वांछनीय है, जिसमें क्यूआईबी के चयन सहित, जिन्हें इक्विटी शेयरों की

पेशकश की जानी है, जारी और आवंटित किये गये और उससे संबंधित मामले और कंपनी की ओर से ऐसे सभी मुद्दों, कठिनाइयों या शंकाओं का समाधान करने की शक्ति के साथ, जो इस तरह के निर्गम या आवंटन (आबंटन) के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, और उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त है, के लिए एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है ।"

"पुन: यह संकल्प लिया गया कि कंपनी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड या किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज (जों) के साथ जारी किए जा सकने वाले नए इक्विटी शेयरों की सूचीकरण के लिए आवेदन करती है।"

"पुन: यह संकल्प लिया गया कि बोर्ड हों और एतद्द्वारा QIP से संबंधित सभी या किसी भी शक्तियां इस तरह से सौंपने के लिए अधिकृत किया गया है जैसा कि वे बोर्ड की समिति को सौपने के लिए उपयुक्त समझे और वित्त विभाग से संबंधित ऐसे दो अधिकारी जो कंपनी में प्रबंधक पद से नीचे के नहीं रहे, के संयुक्त हस्ताक्षर से संवैधानिक फाइलिंग जो कंपनी के रजिस्ट्रार ("RoC), बीएसई लिमिटेड (" बीएसई ") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (" एनएसई ") के साथ किए जाते हों, से संबंधित दस्तावेजों को छोड़कर QIP संबंधित सभी कागजात के निष्पादन या हस्ताक्षर करने की शक्ति के लिए अधिकृत किया जाता है।

"यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड हों और एतद्द्वारा कंपनी के सचिव को QIP के संबंध में कंपनी की ओर से RoC, BSE और NSE के साथ किए गए वैधानिक फाइलिंग से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

"पुन: यह संकल्प लिया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल को सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने के लिए अधिकृत किया जाता है और इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

8. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि बोर्ड की क्यूआईपी समिति हो और निम्नलिखित निदेशकों को इसके सदस्य के रूप में गठित की जाती है: अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और अन्य कार्यकारी निदेशकों जैसा कि बोर्ड शेयरों/प्रतिभूतियों के आगे के निर्गम से

संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त समझे, बशर्ते कि कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन हो।

"पुन: निर्णय लिया गया कि तथाकथित क्यू.आई.पी. समिति हों, और इसके द्वारा इस तरह के कदम उठाने और इस तरह के सभी कार्यों, कर्तव्यों, मामलों और चीजों को करने और किसी भी परिवर्तन (नों) या संशोधन (नों), को स्वीकार करने, और पुन: इक्विटी शेयरों के निर्गम जारी करने या उसे आवंटित करने, जो उपयुक्त और उचित हों- किंतु सीमित नहीं हो, सहित के लिए निर्देश देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, बशर्ते कि कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन हों :

(क) मर्चेंट बैंकरों, कानूनी परामर्शदाताओं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी परामर्शदाताओं, अंडरराइटर, अन्य सलाहकारों, सलाहकारों, सह-प्रबंधकों, बैंकरों, निर्गम के रजिस्ट्रार, पेशेवरों और मध्यस्थों और ऐसी सभी एजेंसियां, जो शामिल हो सकती हैं, सहित इस मुद्दे पर विभिन्न एजेंसियों की नियुक्ति और/या नियुक्ति में संशोधन,:

(ख) कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से धन जुटाने के संबंध में प्लेसमेंट समझौते, एस्क्रो समझौते और अन्य सभी समझौतों और दस्तावेजों, कार्यों और उपकरणों सहित सभी अनुबंधों के निष्पादन को मंजूरी देना जो आवश्यक या वांछनीय हो सकता है;

(ग) प्रस्ताव दस्तावेज को मंजूरी देना और उसे स्टॉक एक्सचेंज और/या ऐसे अन्य प्राधिकरणों या व्यक्तियों के पास दाखिल करना जो आवश्यक हो;

(घ) लागू नियमों और विनियमों के अनुपालन के अधीन न्यूनतम मूल्य पर निर्गम मूल्य, छूट की दर (यदि कोई हो) की स्वीकृति सहित निर्गम की शर्तें, निर्गम आकार, आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या आदि निर्धारित करना;

(ङ) कंपनी की अंतरनियमावली के अनुसार, उपरोक्त के संबंध में निष्पादित करने के लिए आवश्यक किसी भी समझौते/दस्तावेजों पर कंपनी की सामान्य मुहर लगाने का अनुमोदन,:

(च) लेन-देन के लिए आवश्यकतानुसार बैंक खाते खोलने और संचालन को मंजूरी देना;

(छ) निर्गम को खोलने और बंद करने की तारीखों की मंजूरी;

(ज) प्राप्त अभिदान के आधार पर इक्विटी शेयरों के निर्धारण और आवंटन को अंतिम रूप देना,

(झ) ऐसे सभी कार्यों, कर्त्तव्यों, मामलों और चीजों और ऐसे सभी अन्य दस्तावेजों को निष्पादित करना और ऐसे सभी शुल्क का भुगतान करना, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेक से लेनदेन हेतु आवश्यक या वांछनीय समझे;

(ञ) आवश्यकतानुसार आवेदन बनाना और उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करना तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों और सूचीकरण विनियमों के अनुसार इस संबंध में आवश्यक नियामक फाइलिंग करना;

(ट) QIB की सूची, जिसे सदस्यता लेने का प्रस्ताव किया जाएगा, का निर्धारण और इस संबंध में ऐसे QIB के साथ बैठक आयोजित करने सहित सभी आवश्यक कार्य करने, बशर्ते कि लागू कानूनों का अनुपालन हो;

(ठ) QIP के संबंध में किए गए सभी खर्चों की स्वीकृति;

(ड) सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करने की स्वीकृति, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज (ओं), जहाॅ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, पर सूचीबद्ध करने और सूचीकरण समझौता (ओं) या संबंधित स्टॉक एक्सचेंज (ओं) के समान दस्तावेजों को निष्पादित, व्यवस्थित और सौंपने की व्यवस्था करना, तथा

(ढ) कंपनी सचिव को QIP के संबंध में कंपनी की ओर से RoC, BSE और NSE के साथ किए जानेवाले वैधानिक फाइलिंग से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और निष्पादन या सौंपने हेतु अधिकृत करने और अन्य सभी RIP संबंधित दस्तावेजों, जहाॅ तक आवश्यक हो, पर कंपनी के दो वित्त अधिकारियों, जो प्रबंधक स्तर से कम नहीं हों, पर निष्पादन हेतु संयुक्त रुप से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करने"

"पुन: संकल्प लिया गया कि समिति की ऐसी प्रत्येक बैठक में तथाकथित QIP समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।"

"पुन: संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 174 के अनुसार उपर्युक्त समिति की बैठकों के लिए समिति की कुल संख्या का एक तिहाई या दो सदस्यों, जो भी अधिक हो, कोरम होगा। "

"पुन: संकल्प लिया गया कि QIP समिति द्वारा शक्तियों के पूर्वोक्त प्रत्यायोजन के अनुसार की गई कार्रवाई को बोर्ड की अगली बैठक (कों) के समय रिकॉर्ड के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाए।"

9. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के विशेष संकल्प के रूप में पारित करना,:

"पुन: संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के खंड 23 (1) (बी), 42 और 71 के प्रावधानों, अधिनियम (कुछ समय के लिए लागू होने वाले किसी भी

वैधानिक संशोधन या पुन:-अधिनियमित सहित) के कंपनी नियम 2014 (प्रॉस्पेक्टस और सिक्योरिटीज के आवंटन) के विनियमन 14 (2) के साथ पठित, और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति ऋण की सूचीकरण और निर्गम) विनियम, 2008 के प्रावधानों के नियम, विनियम, दिशानिर्देश और परिपत्र, समय-समय पर यथा संशोधित, कंपनी की नियमावली और ऐसे अन्य अनुमोदन, जो समय-समय पर विनियामक प्राधिकारियों से आवश्यक हो, के अनुसरण में शेयरधारकों और निदेशक मंडल का संयुक्त रुप से एतदद्वारा अनुमति दी जाती है कि वह कंपनी की कैपेक्स / विस्तार परियोजनाओं, जो कंपनी के व्यवसाय के लिए अपेक्षित और उचित हो, के लिए निजी प्लेसमेंट के आधार पर कंपनी की ओर से दो हजार पाँच सौ करोड़ रुपए की कुल उधार सीमा में से अगले बारह महीनों में पॉच सौ करोड़ तक, ऐसे नियमों और शर्तों पर और ऐसे समय में सममूल्य पर या ऐसे प्रीमियम पर या अन्यथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जैसा बोर्ड तय करे, सुरक्षित या असुरक्षित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर / किसी प्रकार का बॉन्ड/ नामकरण सहित ग्रीन शू के विकल्प, यदि कोई है, के लिए एक या एक से अधिक किस्तों / संयोजनों में प्रस्ताव दे, जारी करे और आवंटन करे। ”

"आगे यह संकल्प लिया जाता है कि शेयरधारकों की निदेशक मंडल को उपरोक्त उधार शक्तियों को सीएमडी और निदेशक (वित्त) को संयुक्त रूप से सौंपने और ट्रस्टी, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, लॉ फर्म, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, निर्गम के व्यवस्थापकों, अन्य सलाहकार, सलाहकारों, सह-प्रबंधकों, बैंकरों और मध्यस्थों और ऐसी सभी एजेंसियों, जो शामिल हो सकती हैं, आदि को नियुक्त करने की सहमति एतद्द्वारा दी जाती है ताकि वे कंपनी की ओर से गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/बांड सुविधा/प्रतिभूति/चार्ज क्रिएशन आदि से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों को अनुमोदित/निष्पादित/हस्ताक्षर/अंतिम रूप देने, प्रत्येक निर्गम/ डिबेंचर/बांड की किश्तें, डिबेंचर/बांडों के निर्गम कार्यक्रम, जमा/भुगतान शुल्क, निष्पादित और वितरित/इस तरह के प्रस्ताव (वों), कागजात, डीड(डों) और राइटिंग(गों) इत्यादि, जो भी आवश्यक हो को फाइल करने सहित कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार के डिबेंचर/बांड के विस्तृत नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने, सुरक्षित या असुरक्षित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से घरेलू/विदेशी स्रोतों से सुरक्षित या असुरक्षित अ-परिवर्तनीय डिबेंचर/ किसी प्रकार का बॉण्ड्स/ नामपद्धति सहित जो भी आवश्यक हो, एक या अधिक किश्तों में व्यवस्था कर सके साथ ही कोटेशन आमंत्रण/बिड/ बुक बिल्डिंग इत्यादि अथवा इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफार्म (ईबीपी)/ अन्य कोई मोड सहित विनियमन के अधीन अनुमेय कोई अन्य प्रकिया को कंपनी की ओर से मंजूर, निष्पादन/हस्ताक्षर/ अंतिम रुप दे सके। यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी की नियमावली के अर्टिकल 75 के प्रावधानों के अनुसार, आवश्यक ऋण / सुविधा / प्रतिभूति दस्तावेजों आदि पर कंपनी की आम मुहर लगायी जाय। ”

"पुन: यह संकल्प लिया गया कि उपरोक्त के संबंध में, सीएमडी और निदेशक (वित्त) संयुक्त रूप से, मामूली संशोधन, यदि कोई हो, और ऐसे सभी कार्यों, डीडों, मामलों और चीजों को करने जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से आवश्यक, वांछनीय, उचित या समीचीन या परिणामी या उसके आनुषंगिक हो और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए, जिसमें मध्यस्थों, एजेंसियों, प्रतिपक्षों आदि की नियुक्ति शामिल है, जैसी भी आवश्यकता हो, के लिए अधिकृत हैं।"

"पुन: यह संकल्प लिया गया कि उपर्युक्त के संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) संयुक्त रूप से अधिकृत हैं कि वे कंपनी के किसी भी दो अधिकारियों जो मुख्य प्रबंधक (वित्त) स्तर से कम नहीं हों, को कंपनी की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ अधिकारी के रुम में संयुक्त रुप से दस्तावेजों, सुविधा / डिबेंचर / बांड दस्तावेजों के निष्पादन / हस्ताक्षर करने की शक्ति को उप प्रत्यायोजित कर सके जो डिबेंचर / बांड के माध्यम से धन जुटाने के लिए जारी / अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक हो।

बोर्ड के आदेशानुसार
ह0/-
सी.एस.सिंघी
ई.डी.(कंपनी सचिव)
FCS 2570

दिनांक : 01.09.2022
स्थान : कोलकाता

टिप्पणी :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 102(1) के अनुसरण में, ऊपर निर्धारित विशेष व्यवसाय (मद संख्या 6 से 9) के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है। नोटिस में प्रदर्शित होने वाले विशेष व्यवसाय को बोर्ड द्वारा अपरिहार्य माना जाता है और इसलिए यह इस नोटिस का हिस्सा है।

2. जारी COVID-19 की महामारी के मद्देनजर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र दिनांक 08.04.2020, 13.04.2020 05.05.2020, 13.01.2021, 14-12-2021 और 05-05-2022 (सामूहिक रूप से "MCA परिपत्र" के रूप में संदर्भित) ने सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("VC/OAVM ") के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति दी है। अधिनियम और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के प्रावधानों के अनुसार, एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित, कंपनी की 55वीं वार्षिक आम बैठक VC/OAVM के माध्यम से आयोजित की जाएगी। 55वीं एजीएम के लिए निर्धारित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ("NSDL") रिमोट ई-वोटिंग, VC/OAVM के माध्यम से एजीएम में भागीदारी और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

3. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी की 55वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं, जब तक कि किसी सदस्य ने उसकी भौतिक प्रति के लिए अनुरोध न किया हो! कंपनी वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की भौतिक प्रति उन सदस्यों को भेजेगी जो इसके लिए Investors_cs@hindustancopper.com पर अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए अनुरोध करते हैं। सदस्य ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 कंपनी की वेबसाइट www.hindustancopper.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट यानी https://www.evoting.nsdl.com **पर** भी उपलब्ध होगी ।

4. सदस्यों से अनुरोध है कि कंपनी की वेबसाइट www.hindustancopper.com पर उपलब्ध 'ईमेल पंजीकरण फॉर्म' को कंपनी के आरटीए rta@cbmsl.com पर सबमिट करके अपना ई-मेल पता रजिस्टर/अपडेट करें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करें।

5. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, प्रॉक्सी फॉर्म नोटिस के साथ संलग्न नहीं है। साथ ही, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

6. एजीएम में निदेशक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के मामले में, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस -2) पर सेबी सूचीकरण विनियमों और सचिवीय मानक के विनियमन 36 (3) के तहत विवरण नोटिस का हिस्सा है।

7. संस्थागत/कॉर्पोरेट सदस्यों (अर्थात व्यक्तियों/एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को अपने बोर्ड या शासी निकाय के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(यों), जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और उसकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ भेजने की आवश्यकता है। उक्त संकल्प/प्राधिकरण पत्र स्क्रूटिनाइज़र के ईमेल पते kothari.navin@yahoo.com पर भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को और investers_cs@hindustancopper.com को भी मार्क रहेगी। संस्थागत/कॉर्पोरेट सदस्य अपने लॉग-इन में "ई-वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र" पर क्लिक करके भी अपने बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि अपलोड कर सकते हैं।

8. VC/OAVM के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

9. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स 22 सितंबर, 2022 से 28 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

10. बोर्ड द्वारा अनुशंसित इक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि बैठक में अनुमोदित किया जाता है, तो उन सदस्यों को घोषणा के 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा जिनके नाम कंपनी सदस्यों के रजिस्टर में और एनएसडीएल और सीडीएसएल में

21 सितंबर, 2022 को काम के घंटे की समाप्ति के समय प्राप्त लाभकारी मालिक के रुप में होंगे।

11.संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, लाभांश आय 01.04.2020 से सदस्यों के लिए कर योग्य है और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से टीडीएस काटने की आवश्यकता है। टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीपी के साथ आईटी अधिनियम के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी को पूरा और / या अपडेट करें या कंपनी के साथ भौतिक रूप में शेयरों को कंपनी के ईमेल Invest_cs@hindustancopper.com पर या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स सी बी मैनेजमेंट सर्विसेज (पी) लिमिटेड ("आरटीए") को ईमेल पता rta@cbmsl.com पर भेजकर अपडेट करें। विस्तृत प्रक्रिया के लिए, कृपया कंपनी की वेबसाइट www.hindustancopper.com पर 'निवेशक' पृष्ठ देखें।

12.सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने इलेक्ट्रॉनिक शेयरों के संबंध में डीपी को अपने पते में, यदि कोई परिवर्तन हो, तत्काल सूचना दें, और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में अपने भौतिक शेयरों के संबंध में, फोलियो नंबरों का उल्लेख करते हुए सूचित करें।

13.सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर डीमैट रूप में हैं तो वे अपने डीपी को अपने बैंक खाते का विवरण (एमआईसीआर नंबर, आईएफएससी कोड, खाता प्रकार आदि सहित) प्रदान करें। यदि शेयरों को भौतिक रूप में रखा है, तो ऐसे विवरण रद्द किए गए चेक के साथ आरटीए को भेजे जाने चाहिए ताकि कंपनी लाभांश राशि को सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर सके। MICR नंबर और IFSC कोड की अनुपलब्धता के मामले में, उस पर बैंक विवरण अनिवार्य रूप से प्रिंट करने के बाद लाभांश वारंट भेजा जाएगा। इसके अलावा, डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस) फॉर्म जमा नहीं करने वाले सदस्य कृपया ध्यान दें कि कंपनी को उनके डीपी द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते के विवरण लाभांश वारंट पर मुद्रित होंगे। कंपनी ऐसे बैंक खाते के विवरण को हटाने या बदलने के लिए ऐसे सदस्यों के किसी भी सीधे अनुरोध पर विचार नहीं करेगी। अतः उनसे अनुरोध है कि वे अपने डीपी को अपने बैंक खाते के विवरण में किसी भी परिवर्तन के बारे में तुरंत सूचित करें।

14. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार, 2014-15 के लिए दावा न किए गए लाभांश और कंपनी के संबंधित इक्विटी शेयरों में जिसके संबंध में लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में 17.09.2022 से हस्तांतरण हेतु देय होगा। ऐसे लावारिस लाभांश और संबंधित शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.hindustancopper.com पर 'निवेशक' खंड के तहत उपलब्ध है। उक्त लाभांश और शेयरों के संबंध में, 17.09.2022 के बाद कंपनी द्वारा किसी भी दावे पर विचार करना संभव नहीं होगा। जिन सदस्यों का दावा न किया गया लाभांश/शेयर IEPF को हस्तांतरित कर दिया गया है, वे IEPF प्राधिकरण को www.iepf.gov.in पर उपलब्ध फॉर्म संख्या IEPF -5 में एक ऑनलाइन आवेदन करके इसका दावा कर सकते हैं।

15. सेबी के परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांक 3.11.2021 और उसका पुन: स्पष्टीकरण दिनांक 14.12.2021 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वैध PAN, KYC नीचे विवरण के अनुसार निर्धारित फार्म में कंपनी के आरटीए को प्रस्तुत करें जो कंपनी की वेबसाइट www.hindustancopper.com और आरटीए की वेबसाइट www.cbmsl.com पर भी उपलब्ध है:

क्रम सं.	उद्देश्य	फार्म सं.
1.	PAN, KYC विवरण दर्ज करने या उसका परिवर्तन/अद्यतन हेतु अनुरोध	फार्म ISR – 1
2.	बैंकर द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि (हस्ताक्षर में बड़ी विसंगति के मामले में)	फार्म ISR –2
3.	नामांकन का पंजीकरण	फार्म SH-13
4.	विद्यमान नामांकन में परिवर्तन	फार्म SH-14
5.	नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा पत्र	फार्म ISR - 3
6.	मौजूदा नामांकन रद्द करना	फार्मSH-14 और फार्म ISR – 3

फोलियो, जिनमें उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज/विवरण 1.4.2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं है, को उक्त परिपत्र के अनुसार फ्रीज कर दिया जाएगा। 01.01.2022 से प्रभावी, भौतिक प्रतिभूति रखने वाले सदस्य से प्राप्त किसी भी

सेवा अनुरोध/शिकायत को आरटीए द्वारा संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि आरटीए को उपरोक्त विवरण/दस्तावेज प्रदान नहीं किए जाते हैं।

16. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैट मोड में परिवर्तित कर लें। सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 40(1) के अनुसार, संशोधित, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, भौतिक या अभौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों का संचरण या स्थानान्तरण केवल अभौतिकीकृत रूप में ही किया जाएगा।

17. सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 25.1.2022 के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को केवल डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करना; दावा न किए गए ससपेंस एकाउन्ट से दावा; प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण/विनिमय; अनुमोदन (Endorsement) ; प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभाजन; प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन; संचरण और स्थानांतरण जैसे सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय डीमैट रूप में प्रतिभूतियां जारी करने के लिए अनिवार्य किया है । तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म ISR -4 जमा करके सेवा अनुरोध करें, जिसका प्रारूप कंपनी की वेबसाइट पर 'निवेशकों' पर डाउनलोड के तहत उपलब्ध है।

18. एक से अधिक फोलियो में शेयरों को समान क्रम में रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक फोलियो में अपनी होल्डिंग को मजबूत करने के लिए कंपनी के आरटीए को संबंधित शेयर प्रमाणपत्र भेजें।

19. वार्षिक आम बैठक के दौरान, निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता अधिनियम की धारा 170 के तहत रखी जाती है, अनुबंधों का रजिस्टर या व्यवस्था जिसमें निदेशक अधिनियम की धारा 189 के तहत रुचि रखते हैं, एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली https://www.evoting.nsdl.com पर लॉग इन करने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

VC/OAVM के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया और प्रस्तावों पर सवाल उठाना/ संकल्पों पर स्पष्टीकरण मांगना/वार्षिक रिपोर्ट

20. सदस्य **VC/OAVM** के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे या एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई वार्षिक आम बैठक का लाइव वेबकास्ट https://www.evoting.nsdl.com पर अपने रिमोट ई-वोटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके और EVEN का चयन करके कंपनी की वार्षिक आम बैठक देख सकेंगे।

21. जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में लॉग इन करने के लिए ओटीपी आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

22. सदस्यों से बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया जाता है और बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरे और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर Wi-Fi या LAN कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

23. सदस्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और उसके पश्चात नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि एनएसडीएल द्वारा प्रदान किया गया वीसी/ओएवीएम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों की भागीदारी की अनुमति देता है। इसमें बड़े सदस्य (2% या अधिक शेयरधारक सदस्य), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जो पहले आओ पहले पाओ के आधार के बिना किसी प्रतिबंध के वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे।

24. चूंकि वार्षिक आम बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही के सुचारू संचालन हेतु सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने /अपने प्रश्न करने के लिए अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने विचार अग्रिम रूप से invester_cs@hindustancopper.com पर भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कंपनी द्वारा उपरोक्त ई-मेल आईडी पर 22 सितंबर, 2022 को या उससे पहले प्राप्त प्रश्नों/जिज्ञासाओं पर केवल वार्षिक आम बैठक के दौरान विचार किया जाएगा और उसका उत्तर दिया जाएगा।

25. सदस्य जो वार्षिक आम बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध investers_cs@hindustancopper.com पर 22 सितंबर, 2022 को या उससे पहले भेजकर खुद को एक प्रश्नकर्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने खुद को प्रश्नकर्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। वक्ताओं से अनुरोध है कि वे पंजीकरण के समय अपने प्रश्न प्रस्तुत करें, ताकि कंपनी उचित उत्तर दे सके। जब एक पूर्व-पंजीकृत वक्ता को बैठक में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है, तो अगले स्पीकर को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तदनुसार, सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि वे अच्छी इंटरनेट स्पीड के साथ वीडियो/कैमरा वाले डिवाइस से कनेक्ट हो जाएं।

26. कंपनी वार्षिक आम बैठक के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, जो भी उचित हो, प्रश्नों की संख्या और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

वार्षिक आम बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया:

27. अधिनियम की धारा 108 और उसके तहत अधिसूचित नियमों और सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को NSDL द्वारा उपलब्ध कराये गये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) का उपयोग करके प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 25 सितंबर, 2022 (सुबह 9:00 बजे) से शुरू होगी और 27 सितंबर, 2022 (5:00 बजे अपराह्न) को समाप्त हो जायेगी। इस अवधि

के दौरान, कंपनी के सदस्य, जो 21 सितंबर, 2022 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक सदस्य जिसने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वह भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकता है/भाग ले सकता है लेकिन एजीएम के दिन फिर से अपना वोट डालने का हकदार नहीं होगा।

28. जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि अर्थात 21 सितंबर, 2022 को सदस्य नहीं है, उसे वार्षिक आम बैठक की इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से मानना चाहिए। सदस्यों के वोटिंग अधिकार 21 सितंबर, 2022 की कट-ऑफ तारीख को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।

29. कोई भी व्यक्ति, भौतिक रूप में शेयर धारण करता है और/या जो शेयर प्राप्त कर नोटिस जारी करने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर, 2022 को शेयर धारण करता है, तो evoting@nsdl.co.in पर या कंपनी को Investor_cs@hindustancopper.com पर या rta@cbmsl.com पर RTA को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल जाता है, तो वह www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "फॉरगॉट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड" या "फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड" के विकल्प का उपयोग करके पासवर्ड रीसेट कर सकता है या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकता है। डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत सदस्य के मामले में जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस जारी करने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख यानी 21 सितंबर 2022 तक शेयर रखता है, वे नीचे उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके के तहत उल्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं।

30. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका इस प्रकार है:

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने हेतु लॉगिन विधि:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 09.12.2020 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें। डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

A) <u>NSDL के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक सदस्यगण :</u>

1. मौजूदा आईडीईएएस उपयोगकर्ता एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट यथा- https://eservices.nsdl.com पर या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ऑनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीएएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रोम्ट (prompt) करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

2. यदि आप आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। “IDeAS पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण” चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।

3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको

अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

B) सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य:

1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईज़ी/ईज़ीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपनी यूजर ID और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए Easi/Easiest में लॉगिन करने के लिए URL https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com हैं और न्यू सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें।
2. ईज़ी/ईज़ीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख सकेगा। मेन्यू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें।
3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है।
4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी यानी एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।

सी) वैयक्तिक सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करें

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी

लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी : जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए सहायता डेस्क।

लॉगिन प्रकार	**सहायता डेस्क विवरण**
NSDL के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखनेवाले वैयक्तिक सदस्यगण	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।
CDSL के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखनेवाले वैयक्तिक सदस्यगण	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022- 23058738 अथवा 022-23058542-43 पर संपर्क करें ।

ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले सदस्य

NSDL ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग-इन कैसे करें?

1. NSDL की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://www.evoting.nsdl.com
2. एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

विकल्पत:, यदि आप NSDL ई-सेवाओं यानी IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDEAS लॉगिन के साथ https://www.evoting.nsdl.com पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 में आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दें सकते हैं।

आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या फिजिकल	आपका यूजर आई.डी. निम्न है:
a) NSDL के पास डीमैट लेखा में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरणार्थ यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12****** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12****** है।
b) CDSL के पास डीमैट लेखा में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए.	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12************** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12************* है।
c) भौतिक रुप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद EVEN नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और EVEN 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है।

a) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉग इन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

b) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'आरंभिक पासवर्ड' प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'आरंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'आरंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

c) अपना 'आरंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

   (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जा चुका है। अपने मेलबॉक्स से NSDL से आपको भेजे गए ईमेल को ट्रेस करें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी pdf फ़ाइल खोलें। .pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'आरंभिक पासवर्ड' होता है।

   (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन सदस्यों के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है:-

4. यदि आप पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या प्राप्त नहीं किया "प्रारंभिक पासवर्ड" :है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं

a) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प **"फॉरगॉट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड**?" (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में अपना शेयर रखे हैं) पर क्लिक करें।

b) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प **भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड**?" (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं) क्लिक करें।

c) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए एक अनुरोध भेज सकते हैं।

d) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

5. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स का चयन करके नियम और शर्तों से “ पर टिक करें। ”सहमत

6. अब, आपको ”लॉगिन“बटन पर क्लिक करना होगा।

(i) "लॉगिनबटन पर क्लिक करने के बाद ", ईवोटिंग का होम पेज खुल - जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में कैसे शामिल हों?

ii) चरण 1 में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों को “EVEN” देख पाएंगे, जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
(iii) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का “EVEN” चुनें, जो 116619 है।
(iv) वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "इन जनरल मीटिंग" के तहत दिए गए "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।
(v) वोटिंग पेज खुलते ही अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
(vi) उपयुक्त विकल्प अर्थात सहमति या असहमति का चयन करके अपना वोट दें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "पुष्टि करें" पर भी क्लिक करें।
(vii) पुष्टि होने पर, "वोट कास्ट सक्सेसफुली" संदेश प्रदर्शित होगा।
(viii) आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
(ix) एक बार जब आप संकल्प पर अपने मत की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन सदस्यों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए पंजीकृत नहीं हैं और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग के लिए ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया

i. वे सदस्य, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है और जो 55वीं एजीएम में भाग लेना चाहते हैं या बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देना चाहते हैं, वे निम्न की स्कैन प्रति (ए) एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो नंबर और पूरा पता हो, (बी) शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे) की स्कैन की गई प्रति (सी) कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के समर्थन में पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति आरटीए के ईमेल पते पर rta@cbmsl.com और कंपनी Investors_cs@hindustancopper.com पर भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें।

ii. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे हैं, तो सदस्य (क) सदस्य का नाम, डीपी आईडी - क्लाइंट आईडी (16 अंकों का डीपी. आईडी + क्लाइंट आईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी) अंकित करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र ; (बी) क्लाइंट मास्टर या समेकित डीमैट खाता विवरण की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति; और (सी) पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी आरटीए के ईमेल पते rta@cbmsl.com और कंपनी के investor_cs@hindustancopper.com पर भेजकर लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं ।

iii. वैकल्पिक रूप से, सदस्य बिंदु (i) या (ii) जैसा भी मामला हो, में उल्लिखित विवरण प्रदान करके यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर एक ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

सदस्यों के लिए वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

i. सदस्य 55वीं वार्षिक आम बैठक के दिन ईवोटिंग के लिए उसी प्रक्रिया का पालन - वोटिंग के लिए ऊपर बताया गया है।-कर सकते हैं जैसा कि रिमोट ई

ii. केवल वे सदस्य जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 55वीं एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

iii. वे सदस्य जिन्होंने 55वीं वार्षिक आम बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 55वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

iv. जिस व्यक्ति से 55वीं एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए संपर्क किया जा सकता है, वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति ही होगा।

अंशधारकों के लिए सामान्य सूचना

31.यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग के लिए वेबसाइट पर लॉगिन हेतु कीबोर्ड पर सही पासवर्ड डालने के लिए पांच बार असफल प्रयास होने पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको " फॉरगेट उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड" विकल्प के माध्यम से जाने की आवश्यकता होगी जो https:// www.evoting.nsdl.com/to रिसेट पासवर्ड पर उपलब्ध है।

ई-वोटिंग के संबंध में कोई भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, सदस्य शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल जो NSDL's की ई-वोटिंग वेबसाइट के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है, देख सकते हैं अथवा श्री अमित विशाल, ए.भी.पी. / सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरीय प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, "ए"विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई 400 013 में टॉलफ्री नं.-1800 1020 990 / 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं या ई-मेल आईडी: evoting@nsdl.co.in पर लिख सकते हैं। सदस्य जिनका शेयर डीमैट मोड में सीडीएसएल के पास है और लॉग-इन में कोई तकनीकी कठिनाई महसूस करते हैं तो वे सीडीएसएल हेल्पडेस्क से उसके हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध पत्र भेजकर संपर्क कर सकते हैं या 022-23058738 या 022-23058542-43 पर संपर्क करें।

32. मेसर्स एनके एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव के श्री नवीन कोठारी, (सदस्यता संख्या एफसीएस 5935 और सीपी संख्या 3725) को रिमोट ई-वोटिंग आयोजित करने और एजीएम को संतोषजनक और पारदर्शी तरीके से मतदान कराने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। 55वीं वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के समापन के बाद, पहले वार्षिक आम बैठक में डाले गए वोटों को डाउनलोड करेगा और उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल वोटों, अमान्य वोट, यदि कोई हो, और संकल्पों के पालन किए गए हैं या नहीं, की एक समेकित रिपोर्ट स्क्रूटनाइजर तैयार करेगा और ऐसी रिपोर्ट तब अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति को 55वीं एजीएम के समापन के 48 (अड़तालीस) घंटों के भीतर भेजी जाएगी जिसपर अपना प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत मतदान के परिणाम को तत्काल घोषित किया जायेगा।

33. स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.hindustancopper.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद रखा जाएगा। कंपनी एक साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को परिणाम अग्रेषित करेगी, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

सूचना का अनुलग्नक

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक टिप्पणी]

मद सं. **6**

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कोलकाता को कॉस्ट ऑडिटर के रूप में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए रु.90,000 / - (नब्बे हजार रुपये केवल) के पारिश्रमिक के साथ-साथ लागू कर और प्रतिपूर्ति वास्तविक यात्रा और आउट-ऑफ-पॉकेट खर्चों सहित नियुक्ति को मंजूरी दी। कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। तद्नुसार, नोटिस की मद संख्या 6 के साधारण संकल्प के लिए कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन और अनुसमर्थन की आवश्यकता है। कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, नोटिस की मद संख्या 6 में निर्धारित संकल्प में संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 7

अधिनियम की धारा 23, 42 और 62, कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम, सेबी (निर्गम पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 ("सेबी आईसीडीआर विनियम") और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम"), प्रत्येक यथासंशोधित, के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों को कंपनी आगे जारी करने हेतु कंपनी सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प आवश्यक है ।

अयस्क की 3.6 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से 20.20 एमटीपीए अयस्क तक (पहले चरण में 12.20 एमटीपीए तक और दूसरे चरण में 20.20 एमटीपीए तक) खान उत्पादन क्षमता का विस्तार करने हेतु कंपनी की कैपेक्स / विस्तार योजनाओं के वित्तपोषण के लिए 29.10.2020 को आयोजित बैठक में बोर्ड की सिफारिश पर कंपनी के सदस्यों ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) पद्धति के माध्यम से कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 15% के बराबर, एक या एक से अधिक किश्तों में 13,87,82,700 इक्विटी

शेयर जारी करने के लिए पोस्टल बैलेट द्वारा 28.01.2021 को एक विशेष प्रस्ताव पारित किया है। यह 01.08.2018 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की हुई बैठक में मंज़ूरी के अनुसार था।

क्यूआईपी की पहली किश्त 07.04.2021 को शुरू की गई और 12.04.2021 को बंद हुई, कंपनी ने खदान के चल रहे पहले चरण के वित्तपोषण के लिए कंपनी की तत्कालीन मौजूदा शेयर पूंजी के 4.52% के बराबर 500 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) जुटाए। विस्तार योजना और क्यूआईपी इश्यू को पूरी तरह से सब्सक्राइब किया गया और निवेशकों को शेयर आवंटित किए गए। पूंजीगत व्यय के लिए आवश्यक शेष निधि भविष्य में निधियों की आवश्यकता के अनुसार जुटाई जाएगी। 4.52% इक्विटी इश्यू के बाद, एचसीएल में भारत सरकार की शेयरधारिता 76.05% से घटकर 72.76% हो गई है और कंपनी ने प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 द्वारा अपेक्षित न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता का अनुपालन किया है। क्यूआईपी के बाद, भारत सरकार ने सितंबर-अक्टूबर, 2021 में बढ़ी हुई पूंजी और भारत सरकार की होल्डिंग के 6.62% की सीमा तक OFS का आयोजन किया, जो अब कंपनी में 66.14% है।

इसके अलावा, 25.06.2021 को हुई अपनी बैठक में बोर्ड की सिफारिश पर, कंपनी के सदस्यों ने 22.9.2021 को आयोजित एजीएम में कंपनी के संकल्प को सक्षम बनाने के लिए क्यूआईपी पद्धति से एक या अधिक किश्तों में 9,69,76,680 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। ICDR विनियम 2018 की धारा 172 (1) (a) के प्रावधान दो के तहत, क्यूआईपी को कंपनी के सदस्यों द्वारा विशेष संकल्प पारित करने की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 22.09.2021 को एजीएम में पारित मौजूदा विशेष संकल्प 21.09.2022 तक वैध है। इसलिए, कंपनी एजीएम नोटिस की मद संख्या 8 में निर्धारित विशेष संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव कर रही है। नया संकल्प कंपनी के सदस्यों द्वारा संकल्प पारित करने की तारीख से एक और एक वर्ष के लिए वैध होगा। इस प्रकार, कंपनी के पास क्यूआईपी के माध्यम से और धन जुटाने के लिए एक सक्षम संकल्प होगा जो कि इसके चल रहे पूंजीगत व्यय/विस्तार योजनाओं के वित्तपोषण के लिए आवश्यक हो सकता है।

क्यूआईपी के परिणामस्वरूप निवेशकों, जो कंपनी के सदस्य हो भी और नहीं भी सकते हैं, को कंपनी के इक्विटी शेयर जारी करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 42, 62 (1)(सी) और अन्य प्रावधान, यदि कोई हो, सेबी आईसीडीआर विनियमन, सेबी सूचीकरण विनियम और कोइ अन्य कानून, जो उस समय लागू हो, के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों की सहमति मांगी जा रही है। इक्विटी शेयरों की पेशकश के लिए विस्तृत नियम और शर्तें

बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकों, प्लेसमेंट एजेंटों, सलाहकारों और ऐसी अन्य एजेंसियों के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी, जिसपर मौजूदा बाजार स्थितियों को देखते हुए और कानूनों और अन्य प्रासंगिक कारकों के लागू प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा परामर्श करने की आवश्यकता हो।

तदनुसार, एक विशेष संकल्प के माध्यम से सदस्यों के अनुमोदन की मांग की जाती है ताकि निदेशक मंडल को 9,69,76,680 इक्विटी शेयर (13,87,82,700 इक्विटी शेयर से 4,18,06,020 इक्विटी शेयर कम जो पहले ही अप्रैल, 2021 में जुटाए जा चुके हैं) एक या एक से अधिक किश्तों में, पात्र निवेशकों को ऐसी कीमत या कीमतों पर, छूट या प्रीमियम पर, इस तरह से और ऐसे नियमों और शर्तों पर जो बोर्ड द्वारा अपने विवेक से निर्णय लिया जा सकता है, बाजार की स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए और जहां भी आवश्यक हो, लीड मैनेजरों और अन्य सलाहकारों / बिचौलिये के परामर्श से विभिन्न लागू नियमों और विनियमों के अनुसार सीसीईए द्वारा अनुमोदित एचसीएल की कैपेक्स/विस्तार योजनाओं के वित्तपोषण हेतु धन जुटाने के लिए सशक्त बनाया जा सके। सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अनुसार क्यूआईबी को जारी किए जाने वाले न्यूनतम मूल्य और निर्गम मूल्य पर किसी भी छूट सहित इक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण बोर्ड/क्यूआईपी समिति द्वारा सेबी के आईसीडीआर विनियम अध्याय VI के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 'प्रासंगिक तिथि' उस बैठक की तारीख होगी जिसमें निदेशक मंडल या क्यूआईपी समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत कोई अन्य समिति इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम को खोलने का फैसला करती है। आवंटित कोई भी इक्विटी शेयर भारत में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होंगे।

बोर्ड ने 30.06.2022 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए एजीएम नोटिस के मद संख्या 07 में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश की है।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार एजीएम नोटिस के मद संख्या 07 में निर्धारित संकल्प में वित्तीय या अन्यथा किसी भी तरह से संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या- 8

क्यूआईपी के माध्यम से कंपनी के और इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि आइटम नंबर 07 में निर्धारित किया गया है, बोर्ड ने परिचालन सुविधा के लिए क्यूआईपी के माध्यम से शेयरों/प्रतिभूतियों को आगे जारी करने से संबंधित सभी मामलों से निपटने और कार्रवाई करने का उद्देश्य और समयबद्ध तरीके से कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्यूआईपी के संबंध में कुछ शक्तियों/प्राधिकारों को बोर्ड की एक समिति को सौंपने की सिफारिश की है।

बोर्ड ने 30.06.2022 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए ए.जी.एम. नोटिस की मद संख्या 08 में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश की है।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार एजीएम नोटिस के मद संख्या 08 में निर्धारित संकल्प में वित्तीय या अन्यथा किसी भी तरह से संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

मद सं.-09

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 23(1)(बी), 42 और 71 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 के नियम 14 (2) के साथ पठित और अन्य लागू प्रावधान और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008, समय-समय पर संशोधित नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, ज्ञापन और कंपनी की अंतर्नियमावली के प्रावधानों के अनुसरण में सदस्यों की सहमति, कंपनी की कैपेक्स/परियोजना विस्तार सहित व्यवसाय के लिए कंपनी के रु.-2500 करोड़ की समस्त उधारी की सीमा में से 500 करोड़ मात्र तक निजी प्लेसमेंट के आधार पर किसी भी प्रकार/नाम के सुरक्षित या असुरक्षित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/बॉड, एक या एक से अधिक किश्तों / संयोजनों में ग्रीन शू विकल्प के प्रयोग सहित, यदि कोई हो, प्रस्ताव देने, जारी करने और आवंटित करने के लिए 22.09.2021 को ए.जी.एम. में सदस्यों की सहमति विशेष प्रस्ताव पारित करके प्राप्त की गई थी। विशेष संकल्प की वैधता एक वर्ष की अवधि के लिए यानी 21.09.2022 तक है।

इसके अलावा, सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस/सीआईआर/पी/2018/144 दिनांक 26.11.2018 के अनुसार, बड़े कॉरपोरेट (एलसी) के पास 100 करोड़ रुपये या

उससे अधिक की दीर्घकालिक उधारी है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक है और "एए और उससे अधिक" की क्रेडिट रेटिंग है, सेबी के तहत परिभाषित ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से कुल वृद्धिशील उधार के 25% से कम नहीं तक फंड जुटा सकेगी। परिपत्र के अनुसार, एलसी को वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिथि तक वृद्धिशील उधारी की आवश्यकता को पूरा करना होगा, जिसमें विफल रहने पर मौद्रिक दंड / कमी का 0.20% जुर्माना उधार की राशि पर लगाया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों को भुगतान किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2021-22 में, कंपनी के पास कोई अतिरिक्त उधार नहीं था और इसलिए कंपनी ने सेबी के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार बांड / डिबेंचर के माध्यम से उधार नहीं लिया।

इस प्रकार, सेबी के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए, कंपनी की कुल उधार सीमा 2500 करोड़ रुपये को ध्यान में रखते हुए, कंपनी डिबेंचर/बांड के माध्यम से उधार लेने के लिए रुपये 2500 करोड़ की ऋण समग्र सीमा में से 500 करोड़ रुपये की सीमा तक के लिए एक सक्षम प्रावधान रखने का प्रस्ताव करती है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि कंपनी के सीएमडी और निदेशक (वित्त) को बोर्ड द्वारा 29.10.2020 को आयोजित बैठक में संयुक्त रूप से अधिकृत किया गया था और सदस्यों द्वारा 28.1.2021 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से कंपनी की चल और अचल संपत्तियों पर प्रभार के सृजन के बिना, बांड सहित किसी भी मोड के माध्यम से उधार लेने के लिए अनुमोदित किया गया है। इसलिए कंपनी की संपत्ति पर प्रभार के निर्माण के लिए कोई अलग संकल्प की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने दिनांक 30.06.2022 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए ए.जी.एम. नोटिस की मद संख्या 09 में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश की है।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, ए.जी.एम. नोटिस की मद संख्या 9 में निर्धारित संकल्प से संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 36(3) के अनुसार एजीएम में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण

श्री संजय पंजियार

श्री संजय पंजियार खान मंत्रालय के आदेश संख्या 10/4/2019-मेट-III (pt.) दिनांक 26.07.2021 के अनुसार दिनांक 31.07.2021 से कंपनी के निदेशक प्रचालन हैं।

21.06.1964 को जन्मे श्री संजय पंजियार बीआईटी सिंदरी से प्रोडक्शन इंजीनियर में बी.टेक और पांडिचेरी विश्वविद्यालय से PGDCA हैं। श्री पंजियार ने वर्ष 1989 में विजाग स्टील प्लांट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) में प्रबंधन प्रशिक्षु (टी) के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनके पास सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों में 32 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव है और इस्पात निर्माण और खनन क्षेत्र में जटिल मुद्दे हल करने के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त की है। विजाग स्टील प्लांट में अपने करियर के दौरान उन्होंने रोलिंग मिल के परीक्षण, कमीशनिंग, स्थिरीकरण और संचालन में अनुभव अर्जित किया। RINL के बाद, उन्होंने निजी क्षेत्र में काम किया, जिसमें वे धातु और खनन के संचालन और परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहे थे। वर्ष 2015 में, वह NISP नगरनार, बस्तर, छतीसगढ़ में प्रतिष्ठित ग्रीन फील्ड 3.0 Mtpa स्टील प्लांट परियोजना वाली एनएमडीसी लिमिटेड में शामिल हुए। NMDC के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में वे कई बड़े पैकेजों के प्रभारी थे और उन्होंने NISP परियोजना को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

श्री संजय पंजियार न तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य हैं और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी आदेश के आधार पर निदेशक के पद पर नियुक्त होने से वंचित हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रबंधक और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (KMP) श्री पंजियार से संबंधित नहीं है।

श्री संजय पंजियार को छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड (HCL की एक अनुषंगी कंपनी) के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, वे पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य कंपनियों / सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों का निदेशक और सदस्यता नहीं रखते हैं। वे अपने नाम पर या कंपनी में किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभकारी आधार पर कोई शेयर नहीं रखते हैं।

उन्होंने कंपनी के निदेशक (प्रचालन) के रूप में शामिल होने के बाद वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित सभी छह बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।

श्री पंजियार के पास निदेशक की भूमिका निभाने के लिए वांछित कौशल और आवश्यक क्षमताएं हैं और बोर्ड का मानना है कि उनके निरंतर सहयोग से कंपनी को अत्यधिक लाभ होगा।

श्री पंजियार को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक या KMP या उनके रिश्तेदार वित्तीय या अन्यथा मद संख्या 3 में निर्धारित संकल्प में किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

श्री शकील आलम

श्री शकील आलम, आर्थिक सलाहकार, खान मंत्रालय, भारत सरकार, खान मंत्रालय (MoM) के आदेश संख्या एफ. संख्या 10/2/2002-मेट। III दिनांक 06.08.2021 के अनुसार दिनांक 06.08.2021 से कंपनी के अंशकालिक आधारिक निदेशक हैं।

15.03.1976 को जन्मे, श्री शकील आलम बिट्स, पिलानी से अर्थशास्त्र में मास्टर हैं और 2001 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा (IES) से संबंधित हैं। श्री आलम 22.07.2021 को आर्थिक सलाहकार (EA) के रूप में MoM में शामिल हुए। इससे पहले, श्री आलम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में EA थे जहां उन्होंने नीति संबंधी मामलों को संभाला। उन्होंने IMF और IFC जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से निपटने वाले आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय में भी काम किया। उन्होंने विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में भारत के तेरहवें राष्ट्रपति की भी सेवा की थी। उनके 18 साल के करियर को तत्कालीन विनिवेश विभाग (वित्त मंत्रालय) में CPSE की शेयर बिक्री से निपटने के लिए; श्रम और रोजगार मंत्रालय में, औद्योगिक संबंध नीति से निपटना; तत्कालीन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में, अंतरराष्ट्रीय निवेश संबंधों को संभालने, और आर्थिक मामलों के विभाग में उनकी सेवा के कैडर से निपटने में भी मार्क किया गया है।

श्री शकील आलम न तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य हैं और न ही सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी आदेश के आधार पर निदेशक के पद पर नियुक्त होने से वंचित हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रबंधक और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (KMP) श्री आलम से संबंधित नहीं है।

श्री शकील आलम को भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, वे पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य

कंपनियों / सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों की निदेशक और सदस्यता नहीं रखते हैं। वे अपने नाम पर या कंपनी में किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभकारी आधार पर कोई शेयर नहीं रखते हैं।

उन्होंने कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित सभी छह बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।

श्री आलम के पास निदेशक की भूमिका निभाने के लिए अपेक्षित कौशल और क्षमताएं हैं और बोर्ड का मानना है कि उनके निरंतर सहयोग से कंपनी को अत्यधिक लाभ होगा।

श्री आलम को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक या KMP या उनके रिश्तेदार वित्तीय या अन्यथा मद संख्या 4 में निर्धारित संकल्प में किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को प्रमाणिक माना जायेगा।

****